143-NIIT-1

UTTAR PRADESH FOR COPYING FEES ONLY 25 P.

पच्चीस पैसे

TWENTY FIVE PAISE

नकलनवीस नं० 42 25/11/02

श्री कौशल मिश्रा

केवल नक़ल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नक़ल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नक़ल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नक़ल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
25-11-02	28-11-02	28-11-02	[signature]

नकल आदेश दि० 25-11-02 पारित द्वारा उपजिलाधिकारी सदर
प्रकरण वाद सं० 14/36/2002-03 धारा-143 ज़०वि०अधि० ... मौजा ...
परगना व जिला लखनऊ प्रार्थी विद्यावती देवी ... गोयल ...
तारीख फैसला 25-11-02 ——

नकल आदेश दि० 25-11-02 की फोटो प्रमाणित प्रति
संलग्न कार्यालय किया -

SBDNIIT Director (Pharmacy) LUCKNOW

जिलाधिकारी ... पत्रवाहक

143-NIIT-2

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

-----000-----

वाद संख्या 14/36/02-03

धारा 143 जे०ज़ेड०ए०एल०आर०एक्ट

ग्राम सेमरा परगना तहसील व जिला लखनऊ

श्रीमती प्रियम्वदा देवी बाबूरामजी लाल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा अध्यक्षा श्रीमती अलकादास बनाम ग्राम सभा

आदेश

प्रस्तुत कार्यवाही श्रीमती प्रियम्वदा बाबूरामजी लाल एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड नं01373 कार्यालय बाबू बनारसीदास नगर लखनऊ द्वारा अध्यक्षा श्रीमती अलकादास के प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-6-02 के प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुआ। जिसके द्वारा वादिनी ने अवगत कराया है कि भूमि संख्या 249 रकबा 0.519, व गाटा संख्या 250 रकबा 0.582 व 245 रकबा 0.262 व गाटा संख्या 253 रकबा 0.440 व गाटा संख्या 233 रकबा 0.365 हे0 स्थित ग्राम सेमरा परगना तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काबिज व दाखिल है। चूंकि उपरोक्त भूमि पर समिति ने विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु इमारत बनाया रखा है। उपरोक्त भूमि पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। तथा प्रार्थिनी के इस भूमि का उपयोग विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु किया जायेगा तथा उपरोक्त भूमि का उपयोग अकृषिक हो रहा है तथा भविष्य में भी कृषि उपयोग होने की सम्भावना नहीं है।

प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार सदर से कराई गई। तहसीलदार लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 11-9-02 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम सेमरा परगना तहसील व जिला लखनऊ के गाटा संख्या 245 रकबा 0.262 हे0 व 233 रकबा 0.182 हे0, व 243 मि0 रकबा 0.377 हे0 व गाटा संख्या 249 रकबा 0.519 व 253 रकबा 0.440 कुल 5 किता कुल रकबा 1.780 हे0 भूमि अकृषिक है जिस पर बाउन्ड्री वाल बन रही है। कृषि प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 11-9-02 द्वारा उपरोक्त भूमि की धारा 143 जे0ज़े0ए0एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत कृषि से भिन्न अकृषिक किए जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गई है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 11-9-02 लेखपाल के बयान तथा संलग्न अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर गाटा संख्या 245 रकबा 0.262 हे0, व 233 रकबा 0.182 व 243 मि0 रकबा 0.377 हे0 व 249 रकबा 0.519 व 253 रकबा 0.440 हे0 कुल 5 किता रकबा 1.780 हे0 स्थित ग्राम सेमरा परगना तहसील जिला लखनऊ मालगुजारी 60 रु के अनुसार कृषि बागवानी या पशुपालन से असम्बद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त घोषित किया जाता है।

B.B.D.N.I.I.T. LUCKNOW

क्रमशः 2---

NIIT-3.

विक्रयपत्र की एक प्रति उप निबन्धक के पास नियत रीति से रजिस्ट्री हेतु भेजी जाय। तथा आदेश का इन्द्राज खतौनी में किए जाने हेतु परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 25 नवम्बर, 2002

25/11/02
[आर०पी०सिंह]
उप जिलाधिकारी सदर,
लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 25/11/02
नकल तैयार करने की तिथि: 28/11/02
नकल देने की तिथि: 28/11/02
प्रतिलिपि शुल्क: 12.00
शब्दों की संख्या: 300 शब्द

प्रतिलिपि कर्ता: 28/11/02
मुलनाकर्ता:
तिथि: 28/11/02

प्रमाणित प्रतिलिपि
28.11.02
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

B.B.D.N.I.I.T.
Director (Pharmacy)
LUCKNOW

143-NIIT-4

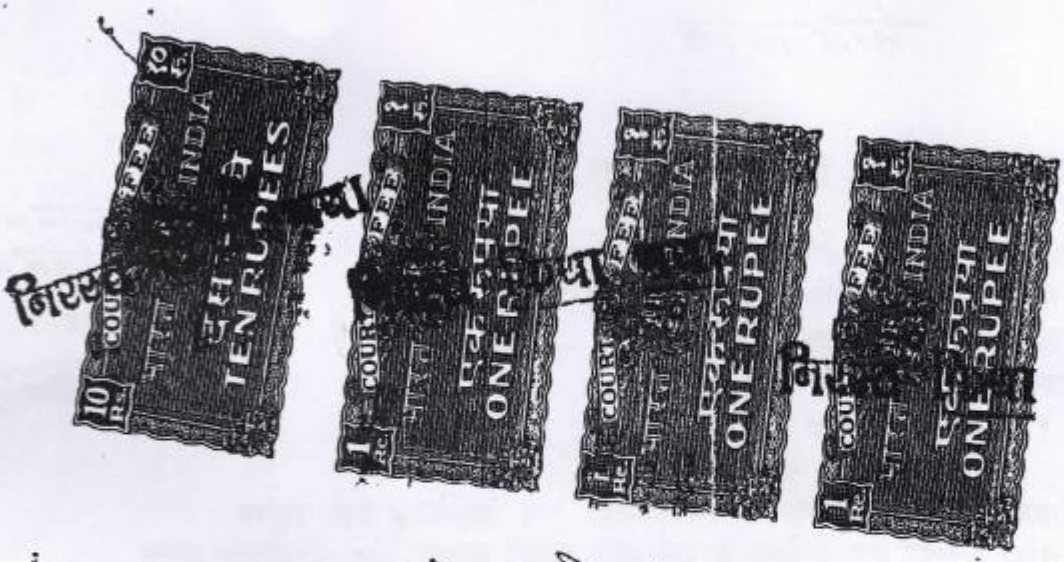

4/13-4-05

नकल नं. 220 / 23-4-05

नकल आदेश दिनांक 15-4-05 द्वारा उपजिलाधिकारी कोर्ट स्पष्ट लखनऊ वाद सं. 36/04-05 धारा 143 ZALR Act- श्रीमती विद्यावती बनाम सरकार ग्राम सेमरा परगना-तहसील व जिला लखनऊ। —— —— —— ——

मौलिक निशान प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है

B.O.N.I. Director (Pharmacy) LUCKNOW

143-NIIT-5.

छाया प्रति

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नकल
आवेदन नं.
220
23/5/07

वाद संख्या–36 / 04–05
श्रीमती विद्यावती बनाम सरकार
धारा–143जेड0ए0एल0आर0एक्ट
ग्राम–सेमरा, परगना, तहसील
व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही डा0 वी0पी0 सिन्हा सचिव, श्रीमती विद्यावती देवी बाबू रामजी लाल एजू0 सोसाइटी, 106, पुराना किला, लखनऊ के प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.01.04 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमे कहा गया कि 'खसरा सं0 296 रकबा 0.367 हे0, 233 रकबा 0.365 हे0, 243 रकबा 0.755 हे0 287 रकबा 0.143 हे0 289 रकबा 0.367 हे0 290 रकबा 0.142 हे0 293 रकबा 0.128 हे0 294 रकबा 0.148 हे0 स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की समिति संक्रमणीय भूमिधर उक्त भूमि का कृषि हेतु प्रयोग नही किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय भवन निमार्ण कार्य जारी है। अतः इसे अकृषिक भूमि घोषित कर दिया जाये।

प्रार्थना–पत्र की जांच तहसील सदर से कराई गई। तहसीलदार सदर की रिपोर्ट आख्या दिनांक 10.10.04 के अनुसार ग्राम सेमरा परगना तहसील व जिला लखनऊ के खतौनी फसली वर्ष 1410 से 1415 के खसरा सं0 233 रकबा 0.365 हे0 243 रकबा 0.755 हे0 287 रकबा 0.143 हे0 289 रकबा 0.367 हे0 290 रकबा 0.142 हे0 293 रकबा 0.128 हे0 294 रकबा 0.148 हे0 296 रकबा 0.367 हे0 कुल रकबा 2.415 हे0 पर भवन निर्मित है, जिस पर कोई भी कृषि से सम्बन्धित कार्य नही हो रहा है तथा इसे कृषि प्रयोजन से असम्बद्ध घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। उक्त आख्या पर कोई आपत्ति प्राप्त नही है। भूलेख निरीक्षक चिनहट द्वारा इस न्यायालय मे उपस्थित होकर सशपथ बयान किया गया कि उक्त गाटा संख्याओं पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। शिक्षण कार्य हेतु भवन का निमार्ण किया गया है। उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य मत्स्य पालन, बागबानी, कुक्कुट पालन कार्य नही हो रहा है उनके द्वारा अपनी आख्या की पुष्टि की गई है। प्रश्नगत भूमि के उक्त क्षेत्रफल के सम्बन्ध मे प्रस्तुत आख्या एवं राजस्व निरीक्षक के बयान के आधार पर उक्त भूमि कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन मे प्रयुक्त किये जाने के कारण कृषि प्रयोजन से असम्बद्ध घोषित किये जाने के योग्य है।

आदेश

खसरा सं0 233 रकबा 0.365 हे0, 243 रकबा 0.755 हे0, 287 रकबा 0.143 हे0 289 रकबा 0.367 हे0 290 रकबा 0.142 हे0 293 रकबा 0.128 हे0 294 रकबा 0.148 हे0 296 रकबा 0.367 हे0 कुल रकबा 2.415 हे0 मालगुजारी 52.50 स्थित ग्राम–सेमरा, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ कृषि प्रयोजन से असम्बद्ध घोषित किया जाता है। खतौनी मे प्रविष्टि हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को तथा आदेश की एक प्रति पंजीयन हेतु निबन्धक लखनऊ को प्रेषित है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अभिलेखागार में संचित हो।

(डा0 अनिल कुमार)
उपजिलाधिकारी सदर,
लखनऊ।

B.B.D.N.I.I.T. (Pharmacy) LUCKNOW

143-N/IT-6

आज दिनांक 15.04.05 को आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय मे उद्‌घोषित किया गया।

220
23-4-05

(डा0 अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर,
लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

23/4/05
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 23-4-05
नकल तैयार: 23-4-05
नकल दी गई: 23-4-05
प्रतिलिपि शुल्क: 13-00
शब्दों की संख्या: 400

प्रतिलिपि कर्ता: 23/4/05
तुलनाकर्ता: 23/04/05
तिथि: 23/4/05

B.B.D.N.I.I. (Pharmacy) LUCKNOW